

From

Director Higher Education,
Haryana, Shiksha Sadan,
Sector-5 Panchkula.

To

✓
Principals of all Govt. Colleges
Located in the State of Haryana,

Memo no. 12/01-2019 Ad(2)

Dated: 17-4-2025

Subject:

Regarding sending information related to enrollment in the form-I under New Group Insurance Scheme 1985 of officers/employees on their appointment in government service and in form-II on their moving from one group to another on regular promotion.

Kindly refer to the subject noted above.

Please find enclosed herewith a copy of letter no. 3/7/2002-3NGIS dated 28.03.2025 received from Chief Secretary to Govt. Haryana Human Resources Department (NGIS branch) for information and compliance.

Enclosed: As above.

Superintendent Administration
for Director Higher Education, Haryana
Panchkula

Endst. no. 12/01-2019 Ad(2)

Dated:

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Superintendent/Deputy Superintendent (HQ).
2. ✓ Incharge IT cell (HQ).

They are requested to follow instruction issued vide letter no. 3/7/2002-3NGIS dated 28.03.2025 by the Chief Secretary to Govt. Haryana Human Resources Department (NGIS branch).

Enclosed: As above

Superintendent Administration
for Director Higher Education, Haryana
Panchkula

1434 Admn
08/04/2025

अति आवश्यक

3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0
हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(एन0जी0आई0एस0 शाखा)

दिनांक: 28 मार्च 2025

सेवा में

- 1 सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा।
- आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- 5 सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा
- 6 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा।

O/O ACSHE

CFMS NO. 3116

Date: 04/04/25

विषय:-

अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-1 में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म-1 में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक

3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 25-09-2023 (मूलपत्र दिनांक 29-10-2002) की ओर दिलाऊँ और सूचित करूँ कि प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत कम विभागों द्वारा फार्म-1 तथा 11 में इन्रोलमेंट से सम्बन्धित सूचना सरकार को भेजी जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि जिन विभागों द्वारा यह सूचना भेजी जा रही है वह जी0आई0एस0 की हिदायतों तथा नियमों को ध्यान में रखकर नहीं भेजी जाती है। आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि श्रेणी 'डी' के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाइन करने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती बारे जारी हिदायतों क्रमांक 1/5/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13-10-1989 के पैरा-3 तथा श्रेणी 'सी', 'बी' एवं 'ए' के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाइन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना हिदायतों क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2-1-1990 के तहत फार्म-1 में भरकर सरकार को भेजी जाए तथा उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि भी दर्शाई जाए। अधिकारियों/कर्मचारियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नियमित पदोन्नति होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतों क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2-1-1990 के अंतर्गत [जनवरी (वर्षगांठ) से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की जी0आई0एस0 की कटौती करके] फार्म-11 में भरकर सरकार को भेजी जाए।

2 आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डी0डी0ओज0 को निर्देश दें कि वे समय-समय पर फार्म-1 तथा फार्म-11 में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्षों को अवश्य भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करे कि सूचना चेक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए तथा उक्त बताए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के सही आंकड़ों तथा उनकी सही तरह से की गई जी0आई0एस0 की कटौती का सरकार को पता चल सके।

भवदीया

अनु. वाला

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ० क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़, 28 मार्च 2025

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०), हरियाणा।
2. सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा।

अनु. वाला

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।